



# महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा मंत्रालय

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

शिक्षा मंत्रालय

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं. 17-3/2019 (प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 6.1.2022

कार्यालय आदेश - 1079

**विषय : वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों / छात्रों द्वारा धारित बैंकों के विलय होने पर नवीन बैंक खाता संख्या/ आई.एफ.एस.सी. कोड/ बैंक पासबुक प्रति प्रेषित करने के संबंध में ।**

भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय किए जाने से बैंक के नाम, खाता संख्या, IFSC Code बदल गए हैं । इस कारण प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में मासिक अनुदान भुगतान प्रक्रिया में वेदपाठशाला / इकाई अध्यापकों को मासिक अनुदान एवं अनुदानित छात्रों के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातों में छात्र स्वतः व्यय राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है । मासिक अनुदान प्रक्रिया के दौरान कई छात्रों के बैंक खातों में प्रेषित की गई छात्रस्वतः व्यय राशि छात्र के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातों का आधार कार्ड से संलग्न नहीं होने (KYC Update) नहीं होने से छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र के बैंक खातों में नहीं हो रहा है ।

1. प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाई अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है, कि वेदपाठशाला / इकाई अध्यापक / छात्रों का बैंक अन्य किसी बैंक में विलय होने पर नवीन IFSC Code अंकित बैंक पासबुक की प्रति/ सूचना तुरन्त प्रतिष्ठान को ईमेल / पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें । छात्रों के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातों को तुरन्त आधार कार्ड से लिंक कराएं तथा बैंक खातों का KYC Update कराएं ।

2. वेदपाठशालाओं / इकाइयों की पत्रावली का कार्य कर रहे समस्त डीलिंग असिस्टेंट को निर्देशित किया जाता है, कि वेदपाठशालाओं / इकाइयों को मासिक अनुदान भुगतान पत्रावली प्रस्तुत करने के पूर्व वेदपाठशाला / इकाई अध्यापक / छात्रों के बैंक पासबुक के IFSC Code एवं बैंक खाते की स्थिति का मिलान PFMS system में जांच कर सही होने पर ही अनुदान पत्रावली प्रस्तुत करें । जिन छात्रों का बैंक खाते का KYC Update नहीं हुआ है तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, उन छात्रों का नाम मासिक अनुदान प्रक्रिया के दौरान छात्र सूची से हटाएं । छात्र के बैंक खातों का KYC Update , आधार कार्ड से लिंक होने के उपरांत छात्र को छात्र स्वतः व्यय राशि एवं छात्र की रखरखाव छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खाता KYC Update प्राप्त होने की दिनांक से किया जाएगा ।

3. जिन छात्रों की छात्रवृत्ति एक बार system reversal के कारण वापस प्रतिष्ठान के बैंक खातों में आ गई है, उन छात्रों के अध्ययन की स्थिति को डीलिंग असिस्टेंट अध्यापक से वीडियो कॉल पर जांच कर, छात्र का KYC Update होने के उपरांत अध्यापक से प्रमाण पत्र / उपस्थिति प्राप्त होने के पश्चात छात्र की रखरखाव एवं छात्र स्वतः व्यय राशि को भुगतान हेतु पत्रावली में प्रस्तुत करेंगे । छात्रवृत्ति भुगतान होने के उपरांत छात्र की पाठशाला / इकाई में

निरीक्षण के अनुरूपस्थिति प्रमाणित होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व डीलिंग असिस्टेंट का रहेगा ।


निरन्तर....

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734-2502253)

E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

//2//

4. वेदपाठशालाओं / इकाइयों को नवम्बर, 2021 तक की अनुदान पत्रावली में जिन छात्रों की छात्र स्वतः व्यय राशि system reversal के कारण वापस प्रतिष्ठान के खातों में आ गई है, उन छात्रों की जानकारी लेखा विभाग से प्राप्त कर उन छात्रों के नाम को सूची से हटाकर नवीन संशोधित छात्र सूची को स्वीकृति प्राप्त कर शेष छात्रों की छात्रवृत्ति एवं पाठशालाओं को अनुदान प्रक्रिया तुरन्त पूर्ण की जाए।

  
6.1.2022  
(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)  
सचिव

- प्रतिलिपि : (1) सचिव के निजी सचिव, मसारावेविप्र  
(2) डॉ. अनूप कुमार मिश्र, अनुभाग अधिकारी, मसारावेविप्र  
(3) परामर्शदाता (वित्त), मसारावेविप्र  
(4) समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य इकाई डीलिंग असिस्टेंट एवं लेखा विभाग के कर्मचारी  
(5) समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।  
(6) कार्यालय आदेश पत्रावली।